बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

विज्ञापन संख्या–0411: पद–कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)

आवश्यक सूचना

ज्ञाप संख्या–2456/आ0 — दिनांक–7-9-2016

विज्ञापन संख्या–0411, कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक–07.08.2016 को किया जाना था । दिनांक–07.08.2016 की परीक्षा जो दिनांक–18.09.2016 को होनी थी, को रद्द करते हुए अब यह परीक्षा दिनांक–25.09.2016(रविवार) को भोजपुर (आरा) जिलान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी । दिनांक–07.08.2016 की परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को निर्गत प्रवेश–पत्र दिनांक–25.09.2016 की परीक्षा हेतु मान्य होगा । संशोधित परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोई प्रवेश–पत्र (Admit Card) निर्गत नहीं किया गया है । अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र (Admit Card) में कतिपय त्रुटियों के निराकरण के संबंध में सभी परीक्षार्थी एवं सभी केन्द्राधीक्षकों को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता हैः–

2- अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है, या स्पष्ट नहीं है, या फोटो के लिए निर्धारित स्थान पर किसी अन्य का फोटो लगा है, परन्तु अन्य प्रविष्टियॉ सही हैं, या उनका पता प्रवेश–पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, या उनका हस्ताक्षर प्रवेश–पत्र पर निर्धारित स्थान पर नहीं है तो उन्हें निर्देश दिया जाता है किः–

(iii) उपरोक्त फोटो संबंधी त्रुटि के संबंध में अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर एक फोटोग्राफ प्रवेश–पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपका कर निर्धारित परीक्षा केन्द्र में वीक्षक को समर्पित करेंगे । साथ ही अपना दो फोटोग्राफ, जो पीछे राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, को अलग से वीक्षक को समर्पित करेंगे ।

(iv) उपरोक्त पता संबंधित त्रुटि के संबंध में अभ्यर्थी अपनी पहचान एवं स्थायी पता स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त प्रमाण–पत्र यथा आधार कार्ड/चुनाव पहचान–पत्र/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस या जिला पदाधिकारी से प्राप्त आवासीय प्रमाण–पत्र आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर साथ लायेंगे ।

3- परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की पुस्तक, छपाई किये हुए कागजात, साईक्लोस्टाईल कागज, मोबाईल एवं किसी प्रकार की इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित है । परीक्षा केन्द्र पर उक्त सामग्री परीक्षार्थियों के पास पाये जाने पर उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जायेगा साथ ही उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी । परीक्षा केन्द्र के बाहर इन सामग्रियों को रखने की जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी ।

सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया जाता हे कि अगर कोई अभ्यर्थी उक्त त्रुटिपूर्ण निर्गत प्रवेश–पत्र लेकर परीक्षा केन्द्र पर आता है, तो उपरोक्त बिन्दु (i) एवं (ii) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल कर लेंगे । ऐसे मामले में प्रवेश–पत्र की केन्द्र प्रति के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभिप्रमाणित फोटोग्राफों एवं अभ्यर्थी द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आयोग को वापस प्रेषित करेंगे ।

उपर्युक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जिनके प्रवेश–पत्र में उक्त त्रुटियॉ नहीं है ।

7/9/16

सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।